



# वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध-प्रस्ताव की रूपरेखा (Synopsis) जमा करने हेतु आवेदन पत्र

- विषय/वर्ग, जिसमें अभ्यर्थी शोध करना चाहता है (यहाँ प्रस्तावित शोधकार्य का शीर्षक नहीं लिखना है)  
.....
- नामांकन संख्या.....
- नाम (हिन्दी में).....  
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में).....
- जन्म तिथि.....
- पुरुष/महिला.....
- पिता का नाम.....माता का नाम.....
- अभ्यर्थी विवाहित है या अविवाहित.....
- राष्ट्रीयता एवं धर्म.....
- अनिवार्य अर्हता का विवरण (पी-एच०डी० कोर्सवर्क)

फोटो  
स्वहस्ताक्षरित

विषय	अनुक्रमांक	अध्ययन केन्द्र का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	परीक्षाफल

- पी-एच०डी० कोर्सवर्क में प्रवेश के समय निर्धारित अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र [CET/Regular Teacher/International Student/UGC/CSIR/ICAR, etc.–NET/JRF/GATE/Serving Army, Navy and Air-force Officer] का विवरण अंकित करें तथा सम्बन्धित प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।  
.....
- आरक्षण सुविधा हेतु प्रमाणपत्र (जाति प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। प्रमाणपत्र संलग्न न होने की दशा में आरक्षण नियमों के तहत लाभ देना संभव नहीं होगा)  
जाति/वर्ग:—सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में से आवेदक पर जो लागू हो, उसका उल्लेख करें—  
.....
- स्थायी पता (पिनकोड सहित).....

.....  
पत्र व्यवहार का पता (पिनकोड सहित).....  
.....

मोबाईल / दूरभाष नं०..... ई-मेल.....

13. प्रस्तुत पी-एच० डी० उपाधि हेतु प्रस्तावित शोधकार्य का शीर्षक—  
.....  
.....

14. शोध-निर्देशक की स्थिति (जो आप के लिए लागू हो, उसके आगे ✓ का निशान अंकित करें)

(क). काउंसलिंग के समय निर्धारित।

(ख). पी-एच०डी० कोर्सवर्क के अध्ययन के समय मौखिक / लिखित सहमति प्राप्त।

(ग). अनिर्धारित / मौखिक / लिखित सहमति प्राप्त नहीं।

15. जिन शोधार्थियों के लिए शोध-निर्देशक निर्धारित / मौखिक / लिखित सहमति प्राप्त हैं, वे अपने शोध-निर्देशक का नाम एवं पता अंकित करें—  
.....  
.....

#### अभ्यर्थी का प्रमाणपत्र

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त समस्त विवरण / सूचनाएँ सत्य हैं।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं दिनांक)

- संलग्नकों की क्रमवार सूची

(कार्यालय के प्रयोग हेतु)

नोट:—जो लागू हो उसके आगे ✓ का निशान तथा जो न लागू हो उसके आगे × का निशान अंकित करते हुए समस्त प्रविष्टियाँ पूरित की जाएँगी।

#### शोध उपाधि समिति की अभ्युक्ति / संस्तुति

1. शोधार्थी ने आर०डी०सी० (शोध उपाधि समिति) के समक्ष उपस्थित होकर अपने शोध-प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया तथा उसके शोधकार्य हेतु शोध-निर्देशक निर्धारित / स्वीकृत किया जाता है।

(शोध-निर्देशक नाम एवं पता)  
.....  
.....

(शोधार्थी के हस्ताक्षर)

(उपस्थित होने की दशा में शोध-निर्देशक के हस्ताक्षर)

2. शोधार्थी अपने शोध-प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण हेतु आर0डी0सी0 (शोध उपाधि समिति) के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। अतः उसके शोधकार्य हेतु शोध-निर्देशक का निर्धारण/स्वीकृति न करते हुए उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है।
3. शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित शोधकार्य के शीर्षक एवं शोधकार्य की रूपरेखा (Synopsis) को यथावत स्वीकार किया जाता है।
4. शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित शोधकार्य के शीर्षक एवं शोधकार्य की रूपरेखा (Synopsis) में आंशिक संशोधन किया जाता है तथा आज से एक माह के भीतर संशोधित शीर्षक एवं संशोधित शोधकार्य की रूपरेखा (Synopsis) पुनः प्रस्तुत करने की संस्तुति की जाती है। संशोधन के विन्दु इस प्रकार हैं—

.....

.....

.....

.....

.....

5. शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित शोधकार्य का शीर्षक एवं शोधकार्य की रूपरेखा (Synopsis) को निरस्त किया जाता है। आज से दो माह के भीतर नया शोध-प्रस्ताव एवं उसकी रूपरेखा (Synopsis) शोध उपाधि समिति द्वारा निर्धारित/स्वीकृत शोध-निर्देशक द्वारा हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत करने की संस्तुति की जाती है। शोध-प्रस्ताव एवं उसकी रूपरेखा (Synopsis) के निरस्त किये जाने के कारणों में प्रमुख विन्दु हैं—

.....

.....

.....

.....

(शोध उपाधि समिति के सदस्यों के नाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर)